ऑनलाइन ट्रेड लाइसेंस जारी नहीं करने वाले निकायों पर होगी कार्रवाई

अमर उजाला ब्यूरो

एक सप्ताह में ऑनलाइन व्यवस्था लागू करने के निर्देश

लखनऊ। कई बार आदेश के बावजूद नगर निकाय उद्यमियों को ऑनलाइन ट्रेड लाइसेंस और इंडस्ट्रियल वाटर कनेक्शन मुहैया नहीं करा रहे हैं। इस पर शासन ने नाराजगी जताते हुए तीन दर्जन से अधिक नगर निकायों को चेतावनी दी है कि यदि एक सप्ताह में ऑनलाइन व्यवस्था लागू नहीं की गई तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत उद्यमियों को सहूलियत दी गई थी कि वे निवेश मित्र पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें। नगर निकाय उन्हें इसी पोर्टल पर ट्रेड लाइसेंस और इंडस्ट्रियल वाटर कनेक्शन उपलब्ध कराएंगे। नगर विकास विभाग ने निकायों को आदेश दिया था कि वे ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं करें। इसके बावजूद कई निकायों ने आदेश का पालन नहीं किया। स्थानीय निकाय निदेशालय ने मई 2019 से सितंबर 2020 तक जारी आदेशों का ब्योरा देते हुए नगर निकायों के इस रवैये पर नाराजगी जताई है। साथ ही कहा है कि भविष्य में सभी कनेक्शन निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से ही दिए जाएं।